छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | सप्तम् सत्र | अंक-3

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 24, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

मानननीय अध्यक्ष ने श्री शिवराज पाटिल, लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.08 बजे स्थगित् की जाकर 11.20 बजे समवेत् हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अध्यक्षीय दीर्घा में श्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष, उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत् करता है ।

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04 (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 73 तारांकित एवं 79 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन्, 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बारहवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(3) श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2, सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.एन. जैनकोर/2228/2025-कॉमटैक्स सेक्शन (51), दिनांक 17 जुलाई, 2025,

(4) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक पी.यू.बी.आर./391/2025-हाऊसिंग, दिनांक 07 नवम्बर, 2025,

(5) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांकः-

(i) एफ-07-23/2023/32, दिनांक 17 अक्टूबर, 2025,

(ii) रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 23 अक्टूबर, 2025 तथा

(iii) रूल/170/2025-हाऊसिंग, दिनांक 26 नवम्बर, 2025,

(6) श्री रामविचार नेताम, अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024),

(7) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक (वर्ष 2024-25),

(8) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक),

(9) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13, सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25,

(10) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025) तथा

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 61 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई 2024 से 30 जून, 2025) तथा

(11) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, ने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025),

पटल पर रखे।

6. पृच्छा

माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-2026 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य में व्याप्त अनियमितता एवं कु-प्रबंधन संबंधी विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

इस संबंध में माननीय सदस्य सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, दिलीप लहरिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, अटल श्रीवास्तव, उमेश पटेल एवं श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ने भी विचार व्यक्त किए।

7. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-2026 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य में व्याप्त अनियमितता एवं कु-प्रबंधन.

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-2026 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य में व्याप्त अनियमितता एवं कु-प्रबंधनों के संबंध में 34 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने ग्राहयता पर चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

8. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय श्री केदार कश्यप, वन मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

9. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

सर्वश्री उमेश पटेल, रामकुमार यादव, विक्रम मंडावी, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, कुंवर सिंह निषाद, ब्यास कश्यप, अटल श्रीवास्तव, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती चातुरी नंद,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री इन्द्र साव, ओंकार साहू।

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

10. बहिष्कार

(डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर उस पर चर्चा नहीं कराये जाने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

11. जुलाई, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2025 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

12. नियम 267 "क" के अधीन जुलाई 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2025 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

13. राष्ट्रपति/ राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान के जुलाई, 2023 सत्र में पारित कुल 4 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक एवं षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2025 सत्र में पारित कुल 14 विधेयकों में से शेष बचे 02 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के जुलाई, 2025 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से सभी 13 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

14. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य (अनुपस्थित सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

(2) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, सदस्य ने छत्तीसगढ़ में हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनियों एवं निजी अस्पतालों द्वारा क्लेम सेटलमेंट तथा कैशलेस सुविधा में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

15. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई।

(1) श्री धरमलाल कौशिक
(2) श्री रोहित साहू
(3) श्रीमती अनिला भेंड़िया
(4) श्री अटल श्रीवास्तव
(5) श्री रिकेश सेन

16. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 09, लुण्ड्रा से निर्वाचित सदस्य श्री प्रबोध मिंज एवं निर्वाचान क्षेत्र क्रमांक- 03, बैकुण्ठपुर से निर्वाचित श्री भईयालाल राजवाड़े द्वारा नवम्बर-दिसम्बर, 2025 सत्र में बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

17.प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सोलहवां, सत्रहवां, अट्ठाहरवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां एवं उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सभापति ने याचिका समिति का द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

18. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की आज की कार्यसूची में सम्मिलित माननीय सदस्य श्री कुंवर सिंह निषाद एवं श्रीमती भावना बोहरा की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी।

19. स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु एक सदस्य का निर्वाचन

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :- "सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिये स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :- विधान सभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को अपरान्ह 1:00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर,2025 को अपरान्ह 2:00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-सी-1 में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को अपरान्ह 4:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।
4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को प्रात: 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-सी-1 में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्वान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **"सूचना कार्यालय"** से प्राप्त किये जा सकते हैं।

20. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की तिथि निर्धारित की ।

अपराह्न 2.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण -25, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा